प्ररूप 2 (नियम 11 (4) दे खए)

कार्यालय, जिला शक्षा अ धकारी (MANDLA), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्रमांक: 42271151 स्कूल आई.डी. - 78585 दिनांक:- 20/02/2018

प्रति,

प्रबंधक,

(Brain Child Academy Tikaria Mandla)

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20/01/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Brain Child Academy Tikaria Mandla, Vill.Tikaria, Behind Eklavya School, Semarkhapa, Mandla MP को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न ल खत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता वस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता कसी भी रूप में वव क्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वं चत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवे पत बालकों को उस अनुपात मे निःशुल्क और अनिवार्य प्रारं भक शक्षा देगा जिस रूप में उसके वा र्षक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वा र्षक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते क जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शक्षा दी जाती है वहां अ धनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अ धनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कै पटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अ भभावक के साथ कसी छानबीन प्र क्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई वस्तारित कालाव ध के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
  - कसी स्कूल में प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्का सत नहीं कया जाएगा;
  - कसी बालक को शारीरिक या मान सक रूप से प्रता ड़त नहीं कया जाएगा;
  - प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारं भक शक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अ धनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/वशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
  - अ धनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते क वर्तमान में कार्यरत जो शक्षक इस अ धनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अ धनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अव ध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शक्षकों को अ धनियम की धारा 24(1) के अधीन वनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टी चंग की गति व धयों में शक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समु चत प्रा धकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अ धनियम की धारा 19 में वहित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सु वधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

PRINCIPAL
Brain Child Academy
Tikaria, Semarkhapa
MANDLA (M.P.) 481661

DIRECTOR
Brain Child Academy
Tikaria, Semarkhapa
MANDLA (M.P.) 481661

- स्कूल व्दारा अ धनियम की धारा 19 में वनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सु वधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सु वधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्त वक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	90000	90000
10	स्कूल का नि र्मत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	5400	5400
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	50000	50000

ड. अधोसंरचना का ववरण

	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल मे दर्ज संख्या	पोर्टल मे दर्ज औसत आकार (वर्ग फीट में)	वास्त वक स्थिति संख्या	वास्त वक स्थिति औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		8	250	8	250
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		3	100	3	100
3	भोजनालय-सह-भण्डार		1	100	1	100

च.	अन्य सु वधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्त वक स्थिति
1	क्या सभी सु वधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	75	75
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	10	10
6	पेयजल सु वधा का प्रकार	Other	Pipe Water
7	पेयजल सु वधा की संख्या	1	1
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Western	Western
9	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	1	1
10	लड़ कयों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
11	वकलांग बच्चों के लए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरी क्षत कए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्या पत होंगे और उ चत लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शक्षा अ धकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..42271151.. एवं डाईसकोड (DISE) 23420106012 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संद र्भत कए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शक्षा केन्द्र/जिला शक्षा अ धकारी व्दारा समय-समय पर अपे क्षत की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्रा धकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा क स्कूल के संचालन की क मयों को दूर करने के लए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी कए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण कया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अ धनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

जिला शक्षा अ धकारी
जिला MANDLA मध्यप्रदेश

PRINCIPAL
Brain Child Academy
Tikaria, Semarkhapa
MANDLA (M.P.) 481661

DIRECTOR
Brain Child Academy
Tikaria, Semarkhapa
MANDLA (M.P.) 481661

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा नियत की गई है।

3/ वर्तमान कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:–

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में विहित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपर्युक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डो एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

31.12.20

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र एनआईसी, विंध्यांचल भवन, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन, परिष्ठ तकनीकी निदेशक, विध्याचल भवन भोपाल ।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
15. समस्त विकासखण्ड समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31.12.20

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग